सदैव यात्रा करने वाले मुसाफिर का हुक्म

﴿ حكم المسافر دائمًا ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ حكم المسافر دائمًا ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

सदैव यात्रा करने वाले मुसाफिर का हुक्म

प्रश्नः

मैं एक काम काज वाला आदमी हूँ। रोज़ी की तलाश में मेरी यात्रा लगातार जारी रहती है। मैं फर्ज़ नमाज़ों को सदैव अपनी यात्रा के दौरान जमा (एकत्र) करके पढ़ता हूँ , और रमज़ान के महीने में रोज़ा तोड़ देता हूँ। क्या मेरे लिए ऐसा करने का अधिकार है या नहीं है ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

आप के लिए अपनी यात्रा के दौरान चार रक्अत वाली नमाज़ों को क़स्र (संछेप) करना, जुह्र और अस्र की नमाज़ों को जमा (एकत्र) करके उन

दोनों के समयों में से किसी एक के समय में, तथा मग्रिब और इशा की नमाज़ों को एकत्र (जमा) करके दोनों के समयों में से किसी एक के समय में पढ़ना जाइज़ है। इसी तरह आप के लिए रमज़ान के महीने में अपनी यात्रा के दौरान रोज़ा तोड़ देना जाइज़ है। और आप ने रमज़ान में जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया है आप पर उन दिनों की कज़ा करना अनिवार्य है। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"और जो बीमार हो या यात्रा पर हो, तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे।" (सूरतुल बक़रा : 185)

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला (शक्ति का स्रोत) है।

देखिये : **फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10/212).**